Schedule XLII-High Court No.(J) 9[Old(M)164]

FORM OF ORDER SHEET

IN THE COURT OF THE DIVISIONAL COMMISSIONER, PURNEA
[L.D. Appeal Case No.-50/2023]
Rabindra Nath Das & Others .....Appellants.
Versus
Surendra Das & Others. .....Respondents.

Serial No.	Date of order of proceeding.	Order with signature of the court.	Office action taken with date
1	2	3	4
	24.1.2026	**आदेश** यह अपील वाद भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बारसोई द्वारा बी.एल.डी.आर. वाद संख्या- 57/2022-23 में दिनांक-14.2.2023 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। वाद अंगीकृत कर सुनवाई की गई। विपक्षीगण की ओर से जवाब दाखिल है। LCR प्राप्त है। प्रश्नगत भूमि का विवरणी निम्नानुसार है :-	

अंचल	मौजा/थाना नं0	खाता	खेसरा	रकवा
आजमनगर	मुकूरिया/393	429	1202	11डी.

दिनांक 08.1.2026 को उभय पक्ष के Final Argument को सुना। तथा अभिलेख का अवलोकन किया। अपीलार्थी का अभिकथन वाद पत्र में अंकित है। विपक्षीगण का जवाब Reply/Rejoinder में अंकित है। अपीलार्थी की ओर से Written Note of Argument दाखिल है।

अपीलार्थी का कहना है कि प्रश्नगत भूमि का पुनरीक्षण सर्वे खतियान गैर मजरूआ आम, बिहार सरकार के नाम से रास्ता के रूप में दर्ज है। तथा यह कि अपीलार्थी एवं क्षेत्र के अन्य व्यक्ति पूर्व से उसी रास्ता का उपयोग आने-जाने में करते हैं। उनका यह भी कहना है कि विपक्षी के विक्रेता के द्वारा गलत रूप से प्रश्नगत जमीन का विक्रय विपक्षी को किया गया है। जबकि विपक्षीगण का कहना है कि प्रश्नगत खेसरा-1202 की भूमि को R.S. खतियान में गैर मजरूआ आम रास्ता के रूप में दर्ज किया गया। जिसके आलोक में सुभाष चन्द्र दास एवं अन्य द्वारा बिहार राज्य और अन्य के विरूद्ध जिला अवर न्यायालय, पूर्णिया के समक्ष Title Suit No.-155/1964 दायर किया गया। उप न्यायाधीश, पूर्णिया का निर्णय दिनांक-12.2.1971 द्वारा सुभाष चन्द्र दास एवं अन्य के पक्ष में अंतिम रूप से डिक्री पारित किया गया। उक्त निर्णय और डिक्री के आधार पर सुभाष चन्द्र दास प्रश्नगत भूमि के पूर्ण दखलकार बन गए। तथा प्रश्नगत भूमि की दाखिल खारिज कराकर सरकार को भू-लगान अदा किया गया। प्रश्नगत भूमि को माधवी चौधरी द्वारा सुभाष चन्द्र दास से वर्ष 1989 में क्रय करते हुए इसकी बिक्री वर्ष 1994 में उनको किया गया। इस प्रकार विपक्षीगण के द्वारा इस अपील वाद को खारिज करने का अनुरोध किया गया है।

उभय पक्ष के Final बहस को सुनने तथा अभिलेख में रक्षित कागजातों-वाद

आयुक्त न्यायालय पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया

<u>**24.1.2026**</u>

पत्र, Reply/Rejoinder आदि तथा LCR के अवलोकन से यह स्थिति दृष्टिगत है कि प्रश्नगत भूमि आर.एस. खतियान में बिहार सरकार की गैर मजरूआ आम, किस्म रास्ता के रूप में दर्ज है। जिसे स्वत्व वाद सं.-155/1964 में दिनांक-12.2.1971 में पारित निर्णय के द्वारा सुभाष चन्द्र दास को डिक्री प्रदान किया गया। जिसके उपरान्त सुभाष चन्द्र दास द्वारा वर्ष-1989 में माधवी चौधरी को प्रश्नगत खेसरा की जमीन का बिक्री किया गया। पुनः माधवी चौधरी के द्वारा निबंधित केवाला के माध्यम वर्ष-1994 में विपक्षी को प्रश्नगत जमीन का विक्रय किया गया। अपीलार्थी द्वारा उक्त स्वत्व वाद में पारित आदेश पर लगाए गए आरोप के संबंध में उल्लेखनीय है कि स्वत्व वाद संख्या-155/1964 में पारित आदेश के विरूद्ध कोई अपील दायर नहीं किया गया, जिससे उक्त वाद में पारित आदेश In Force है। सुनवाई में अपीलार्थी के स्तर से प्रश्नगत जमीन पर विपक्षी के दावे को Negate करने के संबंध में कोई Admissible Evidence उपस्थापित नहीं किया जा सका है।

निम्न न्यायालय के स्तर से उभय पक्ष के अभिकथन के संदर्भ में संगत तथ्यों एवं कानूनी बिन्दुओं की विवेचना करते हुए यथोचित Findings के आधार पर आदेश पारित किया गया है। निम्न न्यायालय का आदेश विधिसम्मत है। इसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप अथवा संशोधन की आवश्यकता नहीं है। अतः इस अपील वाद को खारिज किया जाता है।

आदेश की प्रति LCR के साथ निम्न न्यायालय को भेजें।

24/1/2026.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

लेखापित एवं शुद्धित।
24/1/2026.
आयुक्त,
पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया।

आयुक्त न्यायालय
पूर्णिया प्रमण्डल, पूर्णिया